

कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक :- 843

दिनांक :- 13.9.17

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

विषय :- मेसर्स सेल, मनोहरपुर लौह अयस्क खान, चिरिया ग्रुप के खनन पट्टों के सैद्धांतिक अपयोजन स्वीकृति क्षेत्र 595.075 हे० से खनिज की निकासी/परिवहन के लिए समर्पित Closed Conveyer System के लिए प्रस्तावित क्षेत्र 14.88 हे० वनभूमि का अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- 1) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची का पत्रांक 3181 दिनांक 31.07.2017
2) आपका कार्यालय का पत्रांक 3522 दिनांक 09.08.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक 2290 दिनांक 01.09.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त विषयगत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव हेतु वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र निर्गत करने के क्रम में हुई बैठक की कार्यवाही की दो प्रति एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक के रूप में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड के पत्रांक 1393 दिनांक 21.08.2017 द्वारा दी गई मंतव्य, जो वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध कराया गया है, की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु०-यथोक्त।

आपका विश्वासी,

ह०/-

वन संरक्षक-सह-उप निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :- 843

दिनांक:- 13/9/17

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर को उनके पत्रांक 2290 दिनांक 01.09.2017 के क्रम सूचनार्थ प्रेषित।

वन संरक्षक-सह-उप निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।



झारखण्ड सरकार

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, रांची-834002

e-mail-pccfjhk@jharkhandmail.gov.in 0651-2481909 (T) 2480413 (F)

पत्रांक:- 22 पी0 2 (2) 05/2017

दिनांक:-

सेवा में

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, रांची।

विषय :-

मेसर्स सेल, मनोहरपुर लौह अयस्क खान, चिरिया ग्रुप के खनन पट्टों के सैद्धांतिक अपयोजन स्वीकृति क्षेत्र 595.075 हे० से खनिज की निकासी/परिवहन के लिए समर्पित Closed Conveyor System के लिए प्रस्तावित 14.88 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:-

1. वन विभागीय पत्रांक वनभूमि-15/2017- 3181 दिनांक 31.07.2017
2. वन संरक्षक-सह-उप निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का पत्रांक 843 दिनांक 13.09.2017

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र-1 के आलोक में वांछित विषयगत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव हेतु वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र निर्गत करने के क्रम में हुई बैठक की कार्यवाही की दो प्रतियों तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड का मंतव्य नाभिक पदाधिकारी कार्यालय के प्रासंगिक पत्र-2 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसकी एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन,
रांची।

पत्रांक-22 पी0 2 (2) 5/2017 - 4307

दिनांक- 25.9.17

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची को प्रासंगिक पत्र-2 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन,
रांची।